अति महत्वपूर्ण

संख्या– 411/एक–11–2021–4(जी)/2015 टी0सी0

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2. पुलिस आयुक्त,
लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, वाराणसी एवं कानपुर।
3. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–11 लखनऊ : दिनांक : 22 जून, 2021

विषयः– कोविड–19 की रोकथाम, बचाव व उपचार में लगाये गये कार्मिकों की कोविड संक्रमण से मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को रू0 50.00 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि वर्ष 2020–21 में कोविड–19 की रोकथाम, बचाव व उपचार के लिये कार्यरत कार्मिकों की संक्रमण से मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को रू0 50.00 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–249/एक–11–2020–04(जी)/2015–टी0सी0 दिनांक 11.04.2020 एवं यथासंशोधित शासनादेश संख्या–249(2)/एक–11–2020–04(जी)/2015–टी0सी0 दिनांक 11.04.2020 द्वारा दिशा–निर्देश निर्गत किये गये थे।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में भी कोविड–19 के रोकथाम, बचाव व उपचार में चिकित्सा विभाग के कार्मिकों के अलावा **ऐसे कार्मिकों को जिनकी ड्यूटी कार्यालयाध्यक्ष/जिलाधिकारी द्वारा कोविड की रोकथाम, बचाव अथवा उपचार में लगायी गयी है**, की कोविड संक्रमण से मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को **रू0 50.00 लाख** की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक की कोविड संक्रमण से मृत्यु पर उसके आश्रितों को अनुग्रह धनराशि की स्वीकृति करके सभी अभिलेखों सहित धनराशि अवमुक्त करने हेतु शासन को संस्तुति प्रेषित की जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा केवल उन्हीं कार्मिकों के आश्रितों को अहेतुक सहायता राशि (रू0 50.00 लाख) स्वीकृत की जायेगी, जिनकी ड्यूटी कार्यालयाध्यक्ष/जिलाधिकारी द्वारा कोविड की रोकथाम, बचाव अथवा उपचार में लगायी गयी है एवं कोविड संक्रमण से उनकी मृत्यु हुई है। **इस हेतु कार्यालयाध्यक्ष द्वारा संलग्न प्रारूप–1 पर इस आशय का प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जायेगा कि संबंधित कार्मिक कोविड–19 की रोकथाम, बचाव अथवा उपचार के कार्यों के लिये नियुक्त था एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा संलग्न प्रारूप–2 पर इस आशय का प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जायेगा कि सम्बन्धित कार्मिक की मृत्यु कोविड–19 के संक्रमण से हुयी है। सम्बन्धित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में दर्ज सभी आश्रितों को बराबर–बराबर अहेतुक सहायता की धनराशि जिलाधिकारी द्वारा वितरित करायी जायेगी।** यदि सेवा पुस्तिका

में आश्रितों के नाम दर्ज नहीं हैं तो मृतक कार्मिक के उत्तराधिकारियों में अहेतुक सहायता की धनर..शि बराबर—बराबर जिलाधिकारी द्वारा वितरित करायी जायेगी।

4. उक्त व्यवस्था का लाभ चिकित्सा अनुभाग—1 के शासनादेश संख्या—533/पांच—1—2020—आर0(533)/2020 दिनांक 07.04.2020 से आच्छादित कार्मिकों से भिन्न समस्त विभागों, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, प्राधिकरणों आदि अन्य सभी सरकारी, अर्द्ध—सरकारी, संविदा कर्मी, दैनिक वेतन भोगी, आउटसोर्स, स्थायी/अस्थायी कार्मिकों के आश्रितों को अनुमन्य/देय होगी, जिनकी ड्यूटी कार्यालयाध्यक्ष/जिलाधिकारी द्वारा कोविड—19 की रोकथाम, बचाव व उपचार में लगायी गयी हो।

5. कोविड—19 की द्वितीय लहर के दौरान अब तक मृत सरकारी कार्मिकों का विवरण एवं संगत अभिलेखों को राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर दिनांक 30 जून, 2021 तक अनिवार्य रूप से फीड एवं अपलोड करा दिया जाय और भविष्य में भी उक्त वेबसाइट पर कोविड से मृत सभी कार्मिकों का विवरण फीड किया जाता रहेगा।

6. **उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2021—22 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या—51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत—05—स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड—800—अन्य व्यय—06—स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय—09—राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय—42 अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।**

उपर्युक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—591/दस—5—2021 दिनांक 18 जून, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

21/6/21

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या—411(1)/एक—11—2021 तद् दिनांक</u>

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश, शासन।
4. प्रमुख स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 शासन।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. सचिव एवं राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
8. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लखनऊ।
9. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय को राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट http://rahat.up.nic.inपर अपलोड कराने हेतु।
10. अनुभाग अधिकारी, राजस्व अनुभाग—11 को http://shasanadesh.up.gov.in वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

आज्ञा से,

21.6.21

(राम केवल)
विशेष सचिव।

GO-R-11/2021-246

शासनादेश संख्या– 411/एक–11–2021–04(जी)/2015 टी0सी0, दिनांक 21 जून, 2021 का संलग्नक–

प्रारूप–1

प्रमाण पत्र संख्या.................... दिनांक............................

कोविड–19 ड्यूटी प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ....की ड्यूटी कोविड–19 की रोकथा बचाव अथवा उपचार के कार्यों में लगायी गयी थी। उक्त कार्मिक की कोविड संक्रमण से दिनां .... को असामयिक मृत्यु हो गयी है।

कार्मिक का विवरण निम्नवत हैः–

1– मृतक कार्मिक का नाम ....

2– विभाग का नाम ....

3– पदनाम ....

4– कोविड की रोकथाम, बचाव अथवा उपचार से सम्बन्धित कार्य का विवरण ....

5– कोविड से सम्बन्धित कार्य का ड्यूटी स्थल ....

6– कोविड से सम्बन्धित कार्य की अवधि, दिनांक ....से .... तक कोविड ड्यूटी आदेश दिनांक .... की छायाप्रति संलग्न है।

दिनांकः–

हस्ताक्षर

जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष
नाम ....
विभाग का नाम ....
जनपद का नाम ....
(सील मुहर)

संलग्नक–

शासनादेश संख्या— 411/एक—11—2021—04(जी)/2015 टी0सी0, दिनांक 21 जून, 2021 का संलग्नक—2

प्रारूप—2

प्रमाण पत्र संख्या.................... दिनांक............................

कोविड—19 मृत्यु प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ....की मृत्यु कोविड—19 के संक्रमण से दिनांक ....को हुयी है

1— मृतक का नाम ....

2— पिता/पति का नाम ....

3— मृतक का पता ....

4— अस्पताल का नाम (भर्ती की दशा में)..................................

5— RTPCR/एण्टीजेन टेस्ट का दिनांक, जिससे कोविड की पुष्टि हुयी ....

6— कोविड टेस्ट लैब/अस्पताल का नाम ....

7— यदि कोविड की जांच उपरोक्त कमांक 5 में वर्णित पद्धति से नहीं की गयी तो कोविड प्रमाणित करने का अन्य स्रोत (विवरण अंकित करें) ....

दिनांक :—

हस्ताक्षर

मुख्य चिकित्साधिकारी का नाम ....

जनपद ....

(सील मुहर)

संलग्नक—